"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2009—आश्विन 13, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-1/2008/1-7.—छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 17, सहपठित धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ लोक आयोग कार्यालय सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2009" में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों के अंग्रेजी अनुवाद में,—

अनुसूची के सरल क्रमांक 7 के कॉलम (9) में शब्द "by direct recruitment" के स्थान पर शब्द "By promotion/deputation" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 4-1/2008/1-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 5th October 2009

NOTIFICATION

No. F. 4-1/2008/1-7.—In exercise of the powers conferred by section 17 read with sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Lok Ayog Adhiniyam, 2002 (No. 30 of 2002), the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the "Chhattisgarh Lok Ayog Karyalaya Service (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2009", namely :—

AMENDMENT

In the English version of the said rules,—

In column number (9) of serial number 7 of the schedule for the words "By direct recruitment", the words "By promotion/deputation" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.